न्यायालय उपजिला कलैक्टर,अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज0)

पीठासीन अधिकारी :–पवनकुमार (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्याः–07/2020

सेवक सिंह पुत्र श्री सुरजीत सिंह जाति जटसिख निवासी 1 एमडी तहसील अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर।

––– प्रार्थी

बनाम्

राजस्थान जरिये तहसीलदार (राजस्व) अनूपगढ़ जिला श्री गंगानगर(राजस्थान)

––––अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (ए) राजस्थान काश्तकारी

दिनांक–23.03.2021

::निर्णय::

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी के नाम से वाके चक 1 एमडी तहसील अनूपगढ़ का पत्थर सं.–161/63 के किला नं.–1,2,10,11 में 0.747 हैक्टर व पत्थर सं.–161/55 के किला नं.–5व6 में 0.373 हैक्टर कुल 1.120 हैक्टर राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। प्रार्थी के पुत्रों भूपेन्द्रसिंह, अमृतपालसिंह व कुलविन्द्रसिंह के नाम से चक 1 एमडी तहसील अनूपगढ़ का मुरब्बा नं.–37 पत्थर सं.–161/29 में अलग–अलग खाता में कृषि भूमि राजस्व रिकॉर्ड मे दर्ज है। प्रार्थी ने उक्त कृषि भूमि में चक 1 एमडी तहसील अनूपगढ़ का पत्थर सं.–161/63 का किला नं.–2 में प्रार्थी ने बेहतर सिंचाई के लिए टयूबवैल लगा रखा है तथा जिसका विद्युत कनैक्शन भी प्रार्थी ने विद्युत विभाग से ले रखा है। प्रार्थी अपने पुत्रों भूपेन्द्रसिंह, अमृतपालसिंह व कुलविन्द्र सिंह की कृषि भूमि वाके चक 1 एमडी तहसील अनूपगढ़ का मुरब्बा नं.–37 पत्थर सं.–161/29 की बेहतर सिंचाई सुविधा के लिए अपनी कृषि भूमि चक 1 एमडी तहसील अनूपगढ़ का पत्थर सं.–161/63 का किला नं.–2 में स्थापित टयूबवैल से भूमिगत पाईप लाईन डालना चाहता है। उक्त पाईप लाईन चक 1 एमडी तहसील अनूपगढ का पत्थर सं.–161/63 का किला नं.–2 में स्थापित टयूबवैल से डलती हुई कच्चा आम रास्ता जो मोमेवाला हैड (195 आरडी) से आबादी 1 एमडी को जाता है जो पत्थर सं.–161/55, 161/54, 161/53, 161/45, 161/64 के मध्य 161/37, 161/38 के मध्य की कृषि भूमि से होती हुई सीधा प्रार्थी के पुत्रों भूपेन्द्रसिंह, अमृतपालसिंह व कुलविन्द्र सिंह की कृषि भूमि वाके चक 1 एमडी तहसील अनूपगढ़ का मुरब्बा नं.–37 पत्थर सं. –161/29 के खेत में प्रवेश करेगी उक्त समस्त का विवरण नजरी नक्शा मे दर्ज है जिसका समस्त खर्चा प्रार्थी वहन करने को तैयार है भूमिगत पाईप लाईन डालने बाबत समस्त औपचारिकताऐ नियमों के तहत भूमिगत 3–3 फुट गहरा खड्डा खोद कर पाईप लाईन डालकर भूमि को पुनः समतल कर दिया जायेगा। जिससे संबंधित काश्तकारान की काश्त अथवा उनके आवागमन में किसी प्रकार की असुविधा नहीं होगी। अतः गैरमुमकिन रास्ता की भूमि मे भूमिगत पाईप लाईन डालने की स्वीकृति प्रदान की जावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pawan Kumar
Date: 2021.04.29 13:11:10 IST
Reason: SelfAttested

प्रकरण दर्ज रजि.कर अप्रार्थी तहसीलदार अनूपगढ़ से [illegible] की गई। मुताबिक तहसीलदार रिपोर्ट प्रार्थी सेवक सिंह पुत्र सरजीत [illegible] खातेदारी रकबा पत्थर सं.–161/63 के किला नं.–2 मे अवस्थि[illegible] सुविधा हेतु भूमिगत पा[illegible] लाईन गैर मुमकिन रास्ता से होती हुई अपने हकीकी पुत्र अमृ[illegible]सिंह पुत्र सेवक सिंह खातेदारी रकबा पत्थर नं.–161/29 के किला नं.–25 तक बिछाना चाहता है। उक्त प्रस्तावित पाईप लाईन के हेतू अन्य कोई वैकल्पिक सुविधाजनक मार्ग नहीं है। उक्त प्रस्तावित पाईप लाईन आवेदक के पारिवारिक सदस्यों की जोत मे परस्पर दूरी अधिक होने के कारण सिंचाई सुविधा हेतु नितांत आवश्यक है। पाईप लाईन पूर्णतया भूमिगत है एवं गैर मुमकिन रास्ता के नीचे से प्रस्तावित

है। रास्ता मौका पर कच्चा है एवं प्रस्तावित मार्ग मे कोई अवरोध यथा भवन, बोरवेल, वृक्ष आदि नहीं है। पाईप लाईन दो जगह पक्के सिंचाई खाले के नीचे से गुजरेगी।

पत्रवाली में उपलब्ध दस्तावेजों व तहसीलदार अनूपगढ़ की रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। प्रार्थी ने चक 1 एमडी तहसील अनूपगढ़ का मुरब्बा नं.–37 पत्थर सं.–161/29 की बेहतर सिंचाई सुविधा के लिए चक 1 एमडी तहसील अनूपगढ़ का पत्थर सं.–161/63 का किला नं.–2 में स्थापित टयूबवैल से बेहतर सिंचाई सुविधा के लिये गैर मुमकिन रास्ता के नीचे से भूमिगत पाईपलाईन डालकर सिंचाई सुविधा हेतु अनुमति चाही है। प्रस्तावित भूमि की अलावा अन्य कोई निकटतम उचित विकल्प नही है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

::आदेश ::

उपरोक्त विवेचन के आधार राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251ए के तहत इस न्यायालय को प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर वाके चक 1 एमडी तहसील अनूपगढ़ का मुरब्बा नं.–37 पत्थर सं.–161/29 की बेहतर सिंचाई सुविधा के लिए चक 1 एमडी तहसील अनूपगढ़ का पत्थर सं.–161/63 के किला नं.–2 में स्थित टयूबवैल से प.नं.–161/54 के किला नं.–21ता25 एवं 1,10,11,20,21 पत्थर सं.–161/37 के किला नं. –21ता25 एव पत्थर सं.–161/45 के किला नं.–21ता25 में चल रहे गैर मुमकिन रास्ता के किनारे पर भूमिगत पाईप लाईन पत्थर नं.–161/29 के किला नं.–25 तक मे 1.5 फुट चौड़ाई की खाली खोदकर उक्त खाली में भूमिगत तीन फीट गहरी पाईपलाईन डालकर सिंचाई करने की अनुमति निम्न शर्तो पर प्रदान की जाती है–

शर्तें–

1. पाईप लाईन डालते समय आवागमन में किसी प्रकार भी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करेगा।
2. मशीन द्वारा 3–3 फुट गहरा खड्डा खोदकर उसमें भूमिगत पाईप लाईन डालकर व गडडों को मिट्टी द्वारा भरकर पुनः उसी स्थिति मे समतल किया जावे, ताकि किसी काश्तकार को किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नही हो।
3. प्रार्थी पाईपलाईन डालने हेतु तीन फुट गहरी खुदाई को स्वयं के खर्चे पर भराई करके भूमि/रास्ता समतल करेगा।
4. गैर मुमकिन रास्ता प.नं.–161/54 के किला नं.–21ता25 एवं 1,10,11,20,21 पत्थर स –161/37 के किला नं.–21ता25 एव पत्थर सं.–161/45 के किला नं.–21ता25 में चल रहे रास्ता में पाईप लाईन डालने की ऐवज में प्रतिकर संदाय (राजस्व लेखाकार द्वारा) कर राज. काश्त.(सरकारी) नियम, 1955 की धारा 70 की उपधारा–1 के अधीन संदेय प्रतिकर (मुआवजे) की राशि राज.स्टाम्प नियम, 2004 के नियम 58 के उपनियम (2) के अधीन राज्य सरकार द्वारा अवधारित की गयी दरों (डी.एल.सी.दर) के **दस प्रतिशत** [illegible] तहसील कार्यालय, अनूपगढ में जमा करवाने के आदेश प्रार्थी को दिये जाते है। तहसील[illegible] अनूपगढ नियमानुसार प्राप्त राशि को सुसंगत मद में राजकोष में जमा करावें। निर्णय की प्रति तहसीलदार अनूपगढ को पालनार्थ प्रेषित है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pawan Kumar
Date: 2021.04.29 13:11:10 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय आज दिनांक 23.03.2021 को सरे ईजलास सुनाया गया।

(पवन कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
अनूपगढ़